न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 196/2023

मंगतराम पुत्र श्री अर्जुनराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थी

–:बनाम:–

1. ठानासिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. संदीप कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी ग्राम भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. हरनेक सिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह (फौत)

3/1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम सुन्दरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3/2. कुलविन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3/3. परमजीतकोर पुत्री स्व० श्री हरनेकसिंह पत्नी श्री जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम सुन्दरसिंहकाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4. भानाराम पुत्र श्री सुन्दरराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. श्रीमान प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. श्रीमान प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. श्रीमान तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. देवीलाल पुत्र सुन्दरराम जाति कुम्हार साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय चाण्डक	प्रार्थी
2.	श्री महेन्द्र सेन	अप्रार्थी संख्या 4
3.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 7

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14/08/2024

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री संजय चाण्डक द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का रजिस्टर्ड पता प्रार्थना–पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है, वही माना जावे। प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 6 एस.जी.आर. के खाता संख्या– 6/4 के प0नं0 4/315 19 के कि0नं0 12/0.253, 13/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/2/0.127 है0 नहरी कुल 1.139 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबन्दी चक 6 एस.जी.आर. संवत 2076–2079 इस प्रार्थना–पत्र के साथ बतौर साक्ष्य प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या– 1, 2 [illegible] ठानासिंह, संदीप कुमार, हरनेक सिंह के नाम से चक 6 एस.जी.आर. के संयुक्त खाता संख्या– 199/170 के प0नं0 3/315 20 में कि0नं0 19 ता 24 प्रत्तेक में 0.253 है0, [illegible]/0.228, 25/2/0.025 है0. तथा प0नं0 4/31519 के कि0नं0 3/2/0.164, 4/0.[illegible], 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.203. 6/3/0.025, 7 ता 11 प्रत्तेक में 0.253 है0, 14/0.253, 15/1/0.203, 6/2/0.025, 15/2/0.025, 15/3/0.025, 16/1/0.203, 16/2/0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:26 IST
Reason: Self Attested

025, 16/3/0.025 है० कुल 3.987 है0 नहरी, 0.100 है0 गै०मु० रास्ता, 0.100 है0 गै०मु० खाला व ०. 506 है0 अनकमाण्ड योग 4.718 है० दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अप्रार्थी संख्या 4 मानाराम पुत्र श्री सुन्दरराम के नाम से भी चक 6 एस. जी.आर. के खाता संख्या– 108/94 के प0नं0 3/316 23 के कि०नं० 11/2/0.127, 20/0.253, 21/1/0.240, 22/1/0.013 2 0–0 4/315 19f0–पव 17/0.253, 25/1/0.203, 25/2/0.025. 25/3/0.025 जव कुल 1.089 है0 नहरी, 0.025 है0 गै०मु० खाला, 0.025 है0 गै०मु० रास्ता योग 1. 139 है० कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वर्तमान संयुक्त खाता में आज भी श्री हरनेक सिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है किन्तु श्री हरनेकसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह का कुछ समय पूर्व देहान्त हो चुका है। इसलिए प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में उनके वारीसान को पक्षकार बनाया है।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। कब्जा काश्त सबंधि कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी रकबे के समीपवर्ती ही इसी पत्थर नम्बर 4/31519 के कि0नं0 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में से 0.025 है० भूमि उतर दिशा से दक्षिण दिशा में मोके पर रास्ता हेतु स्वीकृत है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी है एवं मोके पर चालू भी है।

प्रार्थी को अपने धारण की चक 6 एस.जी.आर. के खाता संख्या– 6/4 के प0नं0 4/31519 के कि0नं0 12, 13, 18, 19, 20/2 की 1.139 है0 कमाण्ड खातेदारी रकबे तक आने जाने एंव कृषि साधनों के पहुंचने हेतू कोई रास्ता मोके पर स्वीकृत नहीं है।

प्रार्थी को अपने धारण के उक्त खातेदारी रकबे में पहुंचने के लिए एवं ट्रेक्टर ट्राली लाने ले जाने के लिए इसी पत्थर नम्बर में भोतिक रूप से मोके पर काबिज अप्रार्थी नं० 1 ता 3 के कि0नं0 16 व अप्रार्थी नं0 4 के कि0नं0 17 के उतर दिशा की तरफ कि0नं0 14 व 15 से चिपते हुए पूर्व–पश्चिम दिशा में स्थित रकबे में से होकर मंजूरशुदा मार्ग से गुजरना पड़ता है। स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं होने से प्रार्थी को मोके पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी को नया रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यकता हुई है।

प्रार्थी को मजुंरशूदा मार्ग से अपने खातेदारी रकबे तक पहुंचने के लिए चक 6 एस.जी. आर. के प0नं0 4/31519 के कि0नं0 16 व 17 में से प्रत्तेक में से 0.025–0.025 है0 भूमि उतर दिशा की तरफ से पूर्व–पश्चिम दिशा में से रास्ता हेतु भूमि की आवश्यकता है। ताकि प्रार्थी अपने भौतिक कब्जा काश्त के रकबे तक आसानी से आवागमन कर सके। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है।

प्रार्थी के द्वारा चाहे गए अनुतोष को स्वीकृत किए जाने की ऐवज में श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी रास्ता हेतु स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी. एल. सी. की दुगनी राशि अथवा भूमि के बदले भूमि जो भी न्यायालय निश्चित करे प्रार्थी, अप्रार्थीगण को देने हेतु सहमत है। प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है जो उचीत कोर्ट फीस पर पेश है।

प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी को मजुरशुदा मार्ग से अपने खातेदारी रकबे तक पहुंचने के लिए चक 6 एस.जी.आर. के प0नं0 4/315 19 के कि0नं0 16 व 17 में से प्रत्तेक में से 0.025–0.025 है0 भूमि उतर दिशा की तरफ से पूर्व–पश्चिम दिशा में से कि0नं0 14 व 15 से चिपते हुए रास्ता हेतु भूमि की आवश्यकता है। ताकि प्रार्थी अपने भोतिक कब्जा काश्त के रकबे तक आसानी से आवागमन कर सके। उक्त कृषि भूमि को सार्वजनिक रास्ता हेतु स्वीकार फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गए। दिनांक 09.07.2024 को अधिवक्त श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों द्वारा प्रार्थी श्री देवीलाल पुत्र सुन्दर राम जाति कुम्हार निवासी भागसर की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा आपत्ति जाहिर नहीं की गई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 8 के रूप में पक्षकार बनाया गया।

प्रकरण में दिनांक 24.07.2.24 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 8 स्वयम् हाजिर आये एवं तहरीर शुदा राजीनाम प्रस्तुत किया गय राजीनामा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में प्रार्थी/प्रथम पक्ष के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के खाता स. 6/4 के प.न. 4/315 (19) के किला न. 12, 13, 18 ता 20/2/0.127 है. नहरी कुल 1. 139 हैक. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र की मद स. 4 में अप्रार्थी स. 1/द्वितीय पक्ष के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के खाता स. 108/94 के प.न. 3/316 (23) के किला न. 11/2/0. 127, 20, 21/1/0.240, 22/1/0.013 तथा प.न. 4/315(19) के किला न. 17, 25/1/0. 203, 25/2/0.025, 25/3/0.025 की कुल 1.089 हैक. नहरी, 0.025 गैरमुमकिन खाला, 0. 025 हैक. गैरमुमकिन रास्ता इस प्रकार कुल 1.139 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

अप्रार्थी सं. 2/द्वितीय पक्ष के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के खाता स. 68/62 के प.न. 4/315 (19) के किला न. 20/1/0.126, 21 ता 24 की कुल 1. 138 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स. 1 व 2/द्वितीय पक्ष का अपास में राजीनामा हो गया है, तथा राजीनामा अनुसार तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के प.न. 4/315 (19) के किला न. 24 व 25 की कृ षि भूमि में से प्रत्येक किला में 0.025–0.025 हैक. भूमि उतर दिशा की तरफ से पूर्व से पश्चिम दिशा में व किला न. 23 में 16.5 फुट लम्बाई तथा 16.5 फुट चौडाई (किला न. 18 व 24 के चिपते हुए) यानि 0.0025 हैक. कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू सहमति प्रदान की है तथा प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थी स.1 को उक्त रास्ता की कृषि भूमि के एवज में अप्रार्थी स.2 अपनी कृषि भूमि प.न. 4/315(19) के किला न.24 में से 0.025 हैक. कृषि भूमि पूर्वी तरफ किला न. 25 के चिपते उतर से दक्षिण की और दी है तथा अप्रार्थी स. 2 की उक्त रास्ता में आई कृषि भूमि के एवज में प्रार्थी मंगतराम अपनी कृषि भूमि के प.न. 4/315 (19) के किला न.18 में 0.0275 हैक. पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणी तरफ किला न. 23 के चिपते कृषि भूमि दी है और उक्त राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में अकंन किया जावे। राजीनामा में वर्णितानुसार ही प्रार्थी/प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स.1 व 2 /द्वितीय पक्ष का मुताबिक राजीनामा अनुसार तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के प.न. 4/315 (19) के किला न. 24 व 25 की कृषि भूमि में से प्रत्येक किला में 0.025–0.025 हैक. भूमि उतर दिशा की तरफ से पूर्व से पश्चिम दिशा में व किला न. 23 में 16.5 फुट लम्बाई तथा 16.5 फुट चौडाई (किला न. 18 व 24 के चिपते हुए) यानि 0.0025 हैक. कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू सहमति प्रदान की है तथा प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थी स.1 को उक्त रास्ता की कृषि भूमि के एवज में अप्रार्थी स.2 अपनी कृषि भूमि प.न. 4/315 (19) के किला न.24 में से 0.025 हैक. कृषि भूमि पूर्वी तरफ किला न. 25 के चिपते उतर से दक्षिण की और दी है तथा अप्रार्थी स. 2 की उक्त रास्ता में आई कृषि भूमि के एवज में प्रार्थी मंगतराम अपनी कृषि भूमि के प.न. 4/315 (19) के किला न.18 में 0.0275 हैक. पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणी तरफ किला न. 23 के चिपते कृषि भूमि दी है तथा राजीनामा अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे व उक्त रास्ता के एवज में अप्रार्थीगण को प्रदान की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः आज यह राजीनामा प्रार्थी / प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स. 1 व 2 / द्वितीय पक्ष राजीनामा अनुसार ही ने बिना किसी दवाब व बहकाव तथा बिना किसी नशे पते के कर लिया है, प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 1457 दिनांक 15.07.24 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी मंगतराम पुत्र अर्जुनराम द्वारा प.नं. 4/315 (19) कि.नं. 16,17 में 0.025 हैक्ट. उत्तर दिशा (पूर्व में पश्चिम लम्बा) कि.नं. 14, 15 से चिपता हुआ चाहा है जोकि मौका पर चालू नहीं हैं। मौका पर प.नं. 4/315(19) कि.नं. 24, 25 में उत्तर दिशा में (पूर्व से पश्चिम लम्बा) व कि.नं. 23 में उत्तर दिशा में पूर्वी साईड (पूर्व से पश्चिम मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज काश्तकारान् को पक्षकार लम्बा) रास्ता वैकल्पिक रूप में घरेलू तौर पर चालू है। प्रार्थी की कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं । प्रार्थी द्वारा प.नं. 4/315 (19) कि.नं. 16, 17 में उत्तर दिशा में (पूर्व से पश्चिम लम्बा) रास्ता कि.नं. 14, 15 से चिपता हुआ चाहा गया है। ऐसा करने पर कि.नं. 16 के काश्तकार की कृषि भूमि दो टुकड़ों में विभक्त हो जावेगी। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प.नं. 4/315 (19) कि.नं. 23 में उत्तर दिशा (पूर्वी कोना) व कि.नं. 24, 25 में उत्तर दिशा (पूर्व से पश्चिम लम्बा) कि.नं. 16, 17, 18 से चिपता हुआ पूर्व में वैकल्पिक रूप में घरेलू तौर पर चालू रास्ता है।

प्रकरण में प्रार्थी मंगत राम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया गया। बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन एवं राजीनामा एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि चक 6 एसजीआर के प.न. 4/315 (19) के किला न. 24 व 25 की कृषि भूमि में से प्रत्येक किला में 0.025—0.025 हैक. भूमि उतर दिशा की तरफ से पूर्व से पश्चिम दिशा में व किला न. 23 में 16.5 फुट लम्बाई तथा 16.5 फुट चौडाई (किला न. 18 व 24 के चिपते हुए) यानि 0.0025 हैक. कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है विधि विभाग अधिसूचना 5 सितम्बर 2023 द्वारा 1955 राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 251—क के तहत उक्त रास्ता के प्रतिकर के रूप में समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थी स. 4 को उक्त रास्ता की कृषि भूमि के एवज में अप्रार्थी स. 8 अपनी कृषि भूमि प.न. 4/315(19) के किला न. 24 में से 0.025 हैक. कृषि भूमि पूर्वी तरफ किला न. 25 के चिपते उतर से दक्षिण की और दी है तथा अप्रार्थी स. 8 की उक्त रास्ता में आई कृषि भूमि के एवज में प्रार्थी मंगतराम अपनी कृषि भूमि के प.न. 4/315 (19) के किला न.18 में 0.0275 हैक. पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणी तरफ किला न. 23 के चिपते [illegible] दिये जाने पर पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। यह [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 15/08/24 सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:26 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा